

लाभार्थियों के एनपीएस सफर के हर सत्राई के क्षण में साथ

निवेशकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध

लाभार्थी के प्रत्ययी
हितों की रक्षा
करना।

पर्याप्त वित्तीय साक्षरता
सुनिश्चित करना ताकि
लाभार्थी उचित वित्तीय
निर्णय ले सकें।

सभी लाभार्थियों की श्रेणी,
आयु, योगदान, राशि
इत्यादि भिन्न होने के
बावजूद सभी के साथ
समान व्यवहार।

प्रतिबद्ध समय सीमा के
अन्दर, लाभार्थी की
किसी भी शिकायत का
निवारण करना।

फंड प्रबंधन
पारिस्थितिकी तंत्र का
पर्यावरण और निगरानी
करना और यह
सुनिश्चित करना कि
लाभार्थी के हितों को
संरक्षित किया गया है।

लाभार्थियों को सशक्त करना
जिससे की वें:

1. उपयुक्त विकल्प युन सकें -
पेन्शन फंड मैनेजर / एसेट
वलास / एसेट एलोकेशन
स्ट्रॉटेजी।
2. संख्या के बाद सर्वोत्तम
विकल्प का प्रयोग कर सकें।
3. डिजिटल प्लेटफॉर्म का
इस्तेमाल कर सकें।

1. निष्पक्षता, शिष्टाचार
और गरिमा के साथ
व्यवहार।

2. लाभार्थियों के साथ
समान व्यवहार, वाहे
वै एपीवाई/सरकारी/
एनपीएस कॉर्पोरेट/
व्यक्तिगत ग्राहक हों।

1. निम्नलिखित को ध्यान
में रखते हुए लाभार्थी
की शिकायतों का
निराकरण:

- I. प्रतिक्रिया की गति
- II. प्रतिक्रिया की गुणवत्ता

2. शिकायत के निवारण ना
होने की स्थिति में अन्य
विकल्प।

एनपीएस ट्रस्ट लाभार्थियों के हित में संपत्ति और धन का रखाल रखेगा। ट्रस्टियों की
भूमिका एनपीएस ट्रस्ट की संपत्ति की रक्षा करना और इसके लाभार्थियों के हितों की
रक्षा करना है।

लाभार्थियों के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य:

1. यह कि लाभार्थी अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में पूर्ण रूप से अवगत कराता है।
2. यह कि लाभार्थी अपने एनपीएस निवेश पर नजर रखने की पूर्ण जिम्मेदारी लेता है।
3. यह कि लाभार्थी स्वीकर करता है कि एनपीएस फंड निवेश बाजार जोखिम के आधीन है।